दशमोत्तर छात्रवृत्ति/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ।
2. कुल सचिव, छत्रपति साहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुल सचिव, डा० राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुल सचिव, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. कुल सचिव, डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. कुल सचिव, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. कुल सचिव, इन्ट्रीगल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. कुल सचिव, एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. कुल सचिव, भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
12. कुल सचिव, महर्षि विश्वविद्यालय ऑफ इंफारमेशन टेक्नो0, लखनऊ।
13. कुल सचिव, संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, लखनऊ।
14. सचिव स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ, उ०प्र०।
15. सचिव, उ०प्र०, होम्योपेथी, मेडिकल बोर्ड, लखनऊ।
16. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ०प्र०।
17. सचिव, व्यवसायिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ०प्र०।
18. निदेशक/प्राचार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०)।
19. निदेशक/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
20. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण प्ररिषद जे०बी०टी०सी० कैम्पस निशातगंज, लखनऊ।
21. समस्त निदेशक/प्राचार्य, मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/व्यवसायिक संस्थान, जनपद, लखनऊ।

पत्रांक : C-3302 /स०क०/दमो०छात्र०/2017-18 दिनांक : 24 जुलाई 2017

विषय :- **वर्ष 2017-18 में छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2017 को जनपद लखनऊ में स्थित सभी केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव/प्रतिनिधियों एवं शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/निदेशक/कुलसचिव/प्रतिनिधियों की बैठक/कार्यशाला सम्पन्न हुयी थी, जिसमें वर्ष 2017-18 के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नियमावली/शासनादेश/समय-सारिणी/शिक्षण संस्थानों हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई तथा समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2017-18 में छात्रों हेतु निदेशक महोदय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश के सम्बन्ध में भी चर्चा हुयी, जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों के उपस्थित प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि **scholarship.up.nic.in** वेबसाइट से छात्रों हेतु दिये गये निर्देश को डाउनलोड कर अपने-अपने शिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर छात्रों की सुविधा हेतु दिशा-निर्देश चस्पा कर दें तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने में सहयोग प्रदान करें, जिससे छात्र अपना छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिरहित कर सके। दिनांक 12.07.2017 के बैठक/कार्यशाला की कार्यवृत्ति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र सं0-सी0-3073 दिनांक 17.07.2017 द्वारा उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा दिनांक 21.07.2017 को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में समीक्षा की गई, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वर्ष 2017–18 में छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने में क्या–क्या त्रुटियाँ होने की सम्भावना रहती है, उसके सम्बन्ध में सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दें कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर छात्रों द्वारा त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन करने के लिये विशेष निर्देश प्रदर्शित करें एवं शिक्षण संस्थान स्तर पर भी त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में जागरूकता गोष्ठी आयोजित करकें छात्रों को इसकी जानकारी दे दी जाय।

अतः निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु छात्र क्या करें/क्या न करें के लिये महत्वपूर्ण निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर छात्रों द्वारा त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन करने हेतु चस्पा करें तथा शिक्षण संस्थान परिसर में भी त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन सम्बन्धी जागरूकता गोष्ठी भी आयोजित करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय

(के0 एस0 मिश्र)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षण, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षण संस्थानों को सूचित करने का कष्ट करें।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
6. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।